



244

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण क्र. /2016

सि.क्र - 120 - IV-16

गणेश राठौर पिता श्री गयादीन राठौर
निवासी- बस्ती अनूपपुर तहसील व जिला-
अनूपपुर (म.प्र.) —आवेदक

विरुद्ध

- रमेश प्रसाद पिता जहनू राठौर निवासी गोरसी तहसील जैतहरी, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
- पुरुषोत्तम पिता मोहन राठौर निवासी चोरभटी तहसील जैतहरी, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
- ईश्वरदीन उर्फ भूधर राठौर पिता कमला राठौर, निवासी बस्ती अनूपपुर तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)
- म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर अनूपपुर, जिला अनूपपुर —अनावेदकगण

दिनांक 8-1-16 को
श्री विनायक भागीव शर्मा
द्वारा प्रस्तुत
किया
8-1-16
SD

विनायक भागीव
उपस्थित
ग्वालियर
08-01-2016

न्यायालय कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल, अनूपपुर
जिला अनूपपुर द्वारा प्रकरण क्र. 23/अ-12/2014-15
में पारित आदेश दिनांक 16/11/2015 के विरुद्ध म.प्र.
भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन
पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,
आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:-

- यहकि, ग्राम बेला पटवारी हल्का पिपरिया तहसील व जिला अनूपपुर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 36/2 रकबा 1.619 हैक्टर आवेदक के स्वत्व स्वागित्व एवं आधिपत्य की भूमि है।
- यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा ग्राम बेला में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 35 रकबा 1.348 हैक्टर रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख दिनांक 08/07/2011 द्वारा क्रय किया गया है। जिसमें उनके द्वारा क्रय की गयी भूमि की चतुर सीमा दर्शायी गयी है। (विक्रय पत्र की छाया प्रति संलग्न है।)

दिनांक 8/1/16

3

यहकि, अनावेदकगण द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल अनूपपुर के समक्ष संहिता की


- 2 -
न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-120-तीन/2016

जिला-अनूपपुर

गणेश राठौर विरुद्ध रमेश प्रसाद आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-02-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री आर.डी. शर्मा अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल अनूपपुर, जिला-अनूपपुर के प्र. क्र. 23/अ-12/2014-15 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 16-11-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 22-4-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p style="text-align: right;"> (आर.के. जैन) 22/2/19 सदस्य</p>